



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 447 राँची, गुरुवार, 12 श्रावण, 1945 (श०)
3 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

19 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-55/2020-21733 (HRMS)--श्री अनिल कुमार, झांप्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध काँके अंचल के मौजा-नगड़ी, थाना सं०-53 के खाता सं०-136, प्लॉट सं०-2308 एवं 2381, रकबा क्रमशः 0.39 एवं 20.20 एकड़ भूमि, जो नदी के रूप में दर्ज है, को भू-माफिया द्वारा मिट्टी भरवा कर समतलीकरण को नजरअंदाज करना एवं किये जा रहे अतिक्रमण में संलिप्तता, उक्त भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को नजरअंदाज करने, दिनांक 10.11.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजी गई प्रतिबंधित भूमि की सूची में उक्त अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डालने एवं कार्य/दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-571(HRMS), दिनांक 19.01.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया ।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-855(HRMS), दिनांक 24.01.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-105, दिनांक 12.05.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

3. अतः मामले के समीक्षोपरांत श्री अनिल कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

4. निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANIL KUMAR (110002910660)	DIV COMMISSIONER OFFICE NORTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER NORTH CHHOTANAGPUR HAZARIBAGH (HAZARIBAGH)	Under Suspension	श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची को निलंबन मुक्त किया जाता है।	19/06/2023	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
